कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला–कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

(07836–232721 (कार्या.), 232722(फैक्स), (Email ID: Korea.cg@nic.in)

——::आदेश::——

बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/05/2020

क्रमांक/ 3191 /एस.डब्ल्यू./2020 ::—— कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1543/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 19.03.2020, आदेश क्रमांक /1583/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 22.03.2020 ,आदेश क्रमांक/1696/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 31.03.2020 एवं आदेश क्रमांक/1886/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 14.04.2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी।

2– स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पिड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छ0ग0 शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। यही कारण है कि COVID-19 के संम्भाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में सामाजिक/शारीरिक दूरी (Social/Physical Distancing) को अपनाया जा रहा है। कोरिया जिले हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/3076/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 03.05.2020 के माध्यम से लॉकडाउन की समय–सीमा में वृद्वि करते हुये **17 मई 2020** तक किया गया है।

3– कोरिया जिला ग्रीन जोन में रखा गया है जिसमें **निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध** रहेगा।

1. **प्रतिबंधित वस्तुओं/सेवाओं/अन्य गतिविधियों का विवरण :–**

- सभी प्रकार की घरेलू एवं अन्तराष्ट्रीय हवाई यातायात (स्वास्थ्य सेवांओं एयर एम्बुलेंस सुरक्षा एवं गृह मंत्रालय द्वारा छूट प्राप्त सेवाओं को छोड़कर) प्रतिबंधित है।
- सभी यात्री रेल (सुरक्षा एवं गृह मंत्रालय द्वारा छूट प्राप्त सेवाओं को छोड़कर) प्रतिबंधित है।
- लोकहित में अंतर्राज्यीय तथा छत्तीसगढ राज्य में संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस/सिटी बस/टैक्सी/ऑटो/ई–रिक्शा के संचालन को आगामी आदेश पर्यन्त, स्थगित किया जाता है। विशेष एवं आपातिक परिस्थितियों में राज्य के भीतर एवं बाहर आवागमन हेतु सार्वजनिक परिवहन यानों के संचालन हेतु राज्य शासन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमति प्रदान की जावेगी।
- अन्तर्राज्यीय सार्वजनिक यातायात प्रतिबंधित है।
- मेट्रो रेल सर्विसेस प्रतिबंधित है।

04/5/2020

Scanned with CamScanner

- अन्तर्राज्यीय व्यक्तिगत यातायात (मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर) प्रतिबंधित है।
- सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि बंद रहेंगें, लेकिन ऑनलाईन शिक्षा संबंधी कक्षाएं जारी रहेंगी।
- सभी प्रकार के होटल (स्वास्थ्य, पुलिस, स्वाथ्य कर्मियों, पर्यटकों एवं क्वारेन्टिन सुविधा में संलग्न होटलों को छोड़कर) बंद रहेंगे।
- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, सार्वजनिक भवन एवं अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे।
- पान ठेले पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे तथा पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट–बीड़ी इत्यादि का विक्रय, उपभोग/सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
- नाई, सेलून, स्पा एवं ब्यूटी पार्लर आदि भी सेवाएं भी प्रतिबंधित रहेगी।
- सभी प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक, मनोरजंक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित है।
- सभी प्रकार के धार्मिक स्थान आमजनों के लिए बंद रहेंगे और धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

2. **व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय –**
   - सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही सायं 7.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
   - आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह–रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे।
   - ओ.पी.डी. और मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे (कन्टेंनमेंट क्षेत्र को छोड़कर)

3. **कंन्टेनमेंट जोन में गतिविधियां –**
   - सक्त परिधि नियंत्रण।
   - स्पष्ट प्रवेश और निकास बिन्दुओं की स्थापना।
   - केवल वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने एवं आपात चिकित्सा स्थितियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही होगी।
   - बिना चिकित्सीय परीक्षण के लोगो की आवाजाही तथा परिवहन नहीं होगा।
   - इस परिधि में लोगों के आवागमन का अभिलेख तैयार करना आवश्यक होगा।

4– लॉकडाउन में सम्पूर्ण जिला कोरिया अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों की अनुमति निर्धारित शर्तो के अध्याधीन प्रदान की जाती है:–

क्षेत्र – मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, लेदरी, खोंगापानी (प्रत्येक रविवार साप्ताहिक बंदी)

- कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।), जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल। **(दिन – सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)**

4/5/2020

Scanned with CamScanner

- जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो–रूम, मोटर पार्ट्स, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्युटर, टायर दुकानें। **(दिन – मंगलवार, गुरूवार, शनिवार)**

क्षेत्र – बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां, भरतपुर (प्रत्येक शनिवार साप्ताहिक बंदी)

- कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।), जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल। **(दिन – सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)**
- जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो–रूम, मोटर पार्ट्स, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्युटर, टायर दुकानें।**(दिन – मंगलवार, गुरूवार, रविवार)**

पूर्व में अनुमति प्राप्त आवश्यक सेवाओं की निम्न दुकाने एवं डेयरी दुकान अपने पूर्व निर्धारित समय पर हफ्ते में 6 दिन खुलेंगेः–

- सभी किराना दुकान, दवाई दुकान, मोबाईल रिचार्ज, पंखे की दुकान, सीमेंट छड़ एवं हार्डवेयर दुकान।
- दुकानों पर सुगंगत वैध दस्तावेज जैसे गुमास्ता लायसेंस आदि पत्रक का चस्पा करना अनिवार्य होगा।
- खाद्य पदार्थो के व्यवसाय से जुड़ी दुकानों/ठेलों, जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के विनियम 2.1.1 एवं 2.1.2 के तहत् खाद्य कारोबार कर्ताओं के रूप में पंजीकृत/अनुज्ञापित, मात्र के संचालन की अनुमति होगी।

उपरोक्तानुसार समस्त दुकानों के संचालन का समय प्रातः 09.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त दुकानों के अतिरिक्त शेष दुकानों/संस्थानों के संचालन का समय पूर्ववत रहेगा।

5– उपरोक्त गतिविधियों की अनुमति निर्धारित शर्तो के अध्याधीन प्रदान की जाती हैः–

सार्वजनिक स्थल

I. सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा।
II. सभी व्यक्ति जो सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं परिवहन के प्रभारी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
III. कोई भी संस्था/सार्वजनिक स्थल का प्रबंधक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नही देगा।
IV. विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होगी। इसकी अनुमति संबंधित अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
V. अंतिम संस्कार/अंत्येष्टि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 होगी। इसकी इसकी अनुमति संबधित अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

4/5/2020

Scanned with CamScanner

VI. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय होगा।
VII. सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी के उपभोग/सेवन की अनुमति नही होगी।
VIII. शराब इत्यादि के विक्रेताओं को दुकनों में उपस्थित व्यक्तियों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी बनाये रखे जाने की अनिवार्यता होगी तथा एक समय पर दुकान में 05 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नही रहेंगे।

कार्य स्थल

IX. कार्यस्थलों के समस्त प्रभारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय के जारी गाईडलाईन अनुसार कार्यस्थल एवं कम्पनी परिवहन दोनों स्थनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।
X. समस्त कार्यस्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा सुविधाजनक स्थान पर सैनिटाईजर की व्यवस्था की जाए।
XI. कार्यस्थलों पर प्रत्येक पाली के साथ 1 घंटे का अंतराल रखा जाए एवं सोशल डिस्टेंस के परिपालन के लिए कर्मचारियों के भोजन अवकाश के मध्य अंतराल रखा जाए।
XII. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जिनको कोई सह–रूग्णता हो तथा 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों के पालकों को घर से कार्य करने प्रोत्साहित किया जाये।
XIII. आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने सभी प्राइवेट एवं शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए।
XIV. समस्त संस्थाएं पालियों के मध्य अपने कार्यस्थलों के सैनिटाईजेशन की व्यवस्था करेंगे।
XV. बड़ी बैठकें प्रतिबंधित होंगी।
XVI. आस पास के अस्पताल एवं क्लीनिक जो कोविड 19 के उपचार के लिये अधिकृत हो को चिन्हित कर इसकी सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी में कोविड–19 के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिन्हित अस्पताल में ले जाया जायेगा।

विनिर्माण ईकाइयां

XVII. सार्वजनिक सतहों की बार–बार सफाई तथा हाथों की अनिवार्य धुलाई के आदेश जारी किये जाए।
XVIII. पालियों की ओवर–लैपिंग ना हो तथा कैंटीन में सामाजिक दूरी के नियम के पालन में लंच के समय को आगे–पीछे रखा जाए।
XIX. अच्छे स्वच्छता की आदतों से भली–भांती परिचित कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान किया जाये।

6– गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेगे।

4/5/2020

Scanned with CamScanner

7— पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हॉटस्पाट/कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी।

दंडिक प्रावधान :—

इस आदेश में उल्लेखित गतिविधियों के संबंध में कोरोना वायरस (कोविड—19) की रोकथाम हतु भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेश, निर्देशों, एवं एड्वाईजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन लाकडाउन आदेशों एवं निर्देशों के उल्लघंन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगें।

4/5/2020

(डोमन सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला—कोरिया (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी कोरिया बैकुण्ठपुर

पृ. क्रमांक/3192/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 04/05/2020

04/05

प्रतिलिपि :—

01— अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

02— प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

03— सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

04— सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

05— सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

06— आयुक्त (रा0), सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।

07— पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।

08— आयुक्त, आबकारी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

09— पुलिस अधीक्षक, कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

10— मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

11— अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

12— अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

13— सर्व मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल., जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Scanned with CamScanner

14— सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

15— अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चिरिमिरी/वैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

16— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

17— समस्त तहसीलदार एव नायब तहसीलदार जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

18— सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

19— आयुक्त, नगरपालिक निगम, चिरमिरी की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

20— सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

21— जिला आबकारी अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

22— सर्व कार्यालय प्रमुख जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

23— जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

4/5/2020

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोरिया (छ0ग0)

जिला दण्डाधिकारी जिला कोरिया बैकुण्ठपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner